हो पाने के कारण सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुये मूल कागजात वादिया को वापिस कर दिये। दूसरी ओर जब प्रतिवादी को यह ज्ञान हो गया कि वादिया के नाम अभी तक नामान्तकरण नहीं हो सका है, तो प्रतिवादी नं. 01 के मन में भी बेईमानी आ गई, और वह दिनांक 25.09.2022 को विवादग्रस्त खसरा नम्बरान पर आया और वादिया को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देते हुये, वादिया के अधिकारों से इंकारी होने लगा है इसलिए वादिया को अब उक्त दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 25.09.2022 को प्रतिवादी नं. 01 द्वारा विवादित आराजी पर आकर वादिया को बेदखल करने की धमकी के साथ वादिया के अधिकारों से इंकारी होने के कारण वमुकाम ग्राम टीकतपुरा तहसील राजाखेडा अन्दर हदूद अख्त्यार समाअत हाजा पैदा हुआ है।

विवादग्रस्त ख.नं. 2096/86 रकबा 0.3541 है0 एवं ख.नं. 2100/70 रकबा 0.2782 है0 ग्राम टीकतपुर तहसील राजाखेडा के राजस्व अभिलेखों में दुरस्ती करते हुए प्रतिवादी नं. 01 का नाम विलोपित करते हुए वादिया का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर प्रतिवादी नं. 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादिया के शान्तिप्रिय कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहत व मदाखलत नहीं करें। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री विमल शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 01 का जवाब दावा बतौर इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 02 न्यायालय में उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने इकबाल दावे मे कथन किया कि मद स. 1,2,3,4,5,6 को स्वीकार किया, मद स. 7 के बारे में कथन किया कि वाद पत्र जिस प्रकार अंकित है स्वीकार नहीं है। मद संख्या 8,9,11 वाद पत्र वादिया सिद्ध करें। मद संख्या 10,12,13 वाद पत्र कानूनी है। मद संख्या 14 वाद पत्र स्वीकार है। अतः प्रार्थना वादिया स्वीकार है। वादिया का वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने वादी के वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 01 के इकबाल दावे, व प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा जरिये विक्रय पत्र आराजी खाता संख्या 128 के ख.नं. 75 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 84 रकबा 0–16 बिस्वा, ख.नं. 86 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 87 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 1959/70 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा बांके ग्राम टीकतपुर तहसील राजाखेडा में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग दिनांक 10.10.2012 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 15 पृष्ठ संख्या 188 कम संख्या 2011003300 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र, मु.नं. 1012 दौजी बनाम नत्थी के वाद पत्र व 212 प्रार्थना पत्र की ऑर्डर शीट की प्रमाणित प्रति व उक्त खसरा नम्बरान की वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया।

वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073–77 के खाता संख्या 29 पर विवादित खसरा नम्बरान जिनमें प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा है। इंतकाल नंबर 1248 दिनांक 12.05.2017 को जरिये बंटवारा प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में खसरा नंबर 1959/70/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा पूर्व दिशा एवं खसरा नम्बर 86/3 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मध्य भाग किता 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा हिस्से में आये हैं। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने इकबाल दावे में वादिया को जरिये विक्रय पत्र अपने हिस्से की भूमि दिनांक 10.10.2012 को अंतरित करना स्वीकार किया है।

अतः दावा वादी स्वत्व घोषणा स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेखों में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहत व मदाखलत नहीं करें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार वाद तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा जिला–धौलपुर (राज.)

देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा

# न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री देवी सिंह (आर.ए.एस.)
मूल वाद सं0 –137/22

1. रामरती पत्नी गंगाप्रसाद जाति जाटव निवासी ग्राम लालपुर तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर

.....वादी

बनाम

1. रतनलाल उर्फ बन्टी पुत्र श्री श्यामा जाति जाटव निवासी लालपुर तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा

.....प्रतिवादीगण

दावाः बाबत् स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति :–

1. विद्वान अधिवक्ता :– श्री राजेन्द्र सिंह राना वादी
2. विद्वान अधिवक्ताः– श्री विमल शर्मा प्रतिवादी संख्या 1

## निर्णय

मूल वाद सं. 137/22 दिनांक :– 21.12.2022

वादीगण ने यह वाद बाबत् बाबत् स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज के साथ प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बरान 75 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 84 रकबा 0–16 बिस्वा, ख.नं 86 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 87 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, 1959/70 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 10 बीघा 3 बिस्वा बांके ग्राम टीकतपुरा तहसील राजाखेडा में प्रतिवादी संख्या 1, 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नं. 01 ने उक्त कृषि भूमि में निहित अपने 1/4 भाग को बादिया के पक्ष में दिनांक 10.10.2012 को लिखित एवं पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा मुवलिग 250000 के बदले में विक्रय कर दिया और उसी दिन मौके पर अपने समान कब्जा करा दिया। प्रतिवादी नं. 01 ने वादिया के पक्ष में अपने हिस्से का विक्रय पत्र किया था, उस दिन न्यायालय श्रीमान में एक दावा बंटवारे का प्रकरण संख्या 10/2012 उनवानी दौजी बनाम नत्थी बगैरा विचाराधीन था, इस कारण वादिया के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण नहीं हो सका और राजस्व अभिलेखों में 1/4 भाग पर प्रतिवादी रतनलाल का नाम अंकित बना रहा। वाद में विवादित आराजी के पक्षकारों ने लेकर आपस में बंटवारा कर लिया और बंटवारे के आधार पर प्रतिवादी नं. 01 के हिस्से में जो खसरा नम्बरान आये उनके नम्बरान 1959/70/2 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा(पूरब दिशा) व ख.नं. 86/3 रकवा 1 बीघा 8 बिस्वा(मध्य भाग) कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आये, जिनके वर्तमान कम्प्यूटराईज्ड नम्बर 2100/70 एवं 2096/86 कुल किता 2 कुल रकवा 0.6323 है0 बने हैं, प्रतिवादी नं 01 के हिस्से में आये उन नम्बरान पर वादिया का मौके पर कब्जा हो चुका है। और वादिया उक्त खसरा नम्बरान जो इस प्रकरण में विवादग्रस्त है, उन पर वादिया बतौर खातेदार काश्तकार है और काश्त करती चली आ रही है। विवादग्रस्त खसरा नम्बरान 2096/86 का रकबा 0.3541 है0 एवं 2100/70 का रकबा 0.2782 है.है। बंटवारे के उपर वर्णित प्रकरण उनवानी दौजी बनाम नत्थी में जो स्थगन आदेशा था वह दिनांक 14.03.2012 को खारिज हो चुका है। जिसकी जानकारी वादिया को इस वर्ष माह अगस्त में जब हुई तो वादिया ने न्यायालय श्रीमान में एक आवेदन बाबत किये जाने नामान्तकरण मुताबिक विक्रय पत्र हेतु प्रस्तुत किया जो तहसीलदार साहब के लिये न्यायालय श्रीमान द्वारा भिजवा दिया गया और वह प्रार्थना–पत्र तहसीलदार साहब द्वारा वास्ते जाँच रिपोर्ट पटवारी हल्का को भिजवाया। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार वादिया द्वारा जिन खसरा नम्बरान में से वादिया ने 1/4 भाग क्रय किया था। वे नम्बरान चूंकि बदल चुके थे, क्योंकि बंटवारे में ख.नं. 86 का बटा नम्बर 2096/86 हो गया तथा 1959/70 का नवीन नम्बर 2100/70 कायम कर दिये गये। इस कारण विक्रय पत्र के नम्बरों से मिलान नहीं



उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा